

आयुक्त केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयोग , मद्रास

बनाम

मैसर्स एडीसन एंड कंपनी लिमिटेड

(सिविल अपील सं. 7906/2016)

29 अगस्त, 2016

[अनिल आर. डेव, अमितावा रॉय और एल. नागेश्वर राव, न्यायाधिपति.]

केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944:

धारा 11-बी और इसका प्रावधान - धनवापसी - अन्यायपूर्ण संवर्धन - क्रेडिट नोटों के आधार पर टर्नओवर छूट के संबंध में धनवापसी का दावा-की अनुरक्षणीयता, ठहराया: संधार्य - टर्नओवर छूट केवल इसलिए अस्वीकृत नहीं की जाएगी क्योंकि वे प्रत्येक चालान के समय देय नहीं हैं- हालाँकि, निर्धारिती जिसने शुल्क का बोझ नहीं उठाया, यद्यपि टर्नओवर छूट के लिए उसके द्वारा जुटाए गए क्रेडिट नोट्स के आधार पर कटौती का दावा करने का हकदार है, वह धनवापसी का हकदार नहीं है क्योंकि वह अन्यायपूर्ण रूप से समृद्ध होगा।

धारा 11-बी(2), परंतुक - शब्द 'खरीदार' - का अर्थ - माना गया: धारा 11-बी (2) के परंतुक के खंड (डी), (ई) और (एफ) को पढ़ने मात्र से पता चलता है आवेदक को किया जाने वाला धनवापसी केवल उसमें उल्लेखित व्यक्तियों की तीन श्रेणियों यानी निर्माता, खरीदार और केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित आवेदकों के एक वर्ग द्वारा भुगतान किए गए उत्पाद शुल्क से संबंधित होना चाहिए - परंतुक का खंड (ई) खरीदार को संदर्भित करता है जो निर्माता से पहले खरीदार तक ही सीमित नहीं है - उसमें उल्लेखित खरीदार डाउनस्ट्रीम खरीदार भी हो सकता है - यह पहचानना मुश्किल हो सकता है कि वास्तव में किसने बोझ उठाया था लेकिन इस तरह के सत्यापन से निश्चित रूप से राजस्व को खोजने में मदद मिलेगी पता लगाएं कि क्या निर्माता या खरीदार जो धनवापसी के लिए

आवेदन करता है, उसे अनुचित तरीके से समृद्ध किया जा रहा है।

धारा 12-बी - के तहत वैधानिक अनुमान - माना गया: धारा 12-बी के तहत एक वैधानिक अनुमान है कि शुल्क अंतिम उपभोक्ता को दे दिया गया है।

न्यायालय ने अपीलों का निस्तारण करते हुए अभिनिर्धारित किया:

1. वर्तमान मामले में, निर्धारिती ने स्वीकार किया है कि शुल्क का भार मूल रूप से खरीदार को दी गई थी। यह दिखाने के लिए कोई सामग्री नहीं है कि भार जिस खरीदार को आगे दिया गया निर्धारिती द्वारा उसके द्वारा शुल्कका हस्तांतरण किसी अन्य व्यक्ति को नहीं किया गया। अधिनियम की धारा 12-बी के तहत एक वैधानिक धारणा है कि शुल्क अंतिम उपभोक्ता को दे दिया गया है। तथ्यों से यह स्पष्ट है कि निर्धारिती द्वारा मूल रूप से भुगतान किया गया शुल्क आगे बढ़ा दिया गया। निर्धारिती द्वारा दावा किया गया धनवापसी उस राशि के लिए है जो पहले भुगतान किए गए और आगे बढ़ाए गए उत्पाद शुल्क का हिस्सा है। करदाता जिसने शुल्क का बोझ नहीं उठाया, हालांकि कटौती का दावा करने का हकदार है, वह धनवापसी का हकदार नहीं है क्योंकि वह अन्यायपूर्ण तरीके से समृद्ध होगा। [अनुच्छेद 16] [604-जी-एच; 605-ए]

2. जैसा कि अधिनियम की धारा 11-बी में माना गया है, धनवापसी के दावे के लिए अनिवार्य शर्त यह है कि दावेदार को यह स्थापित करना होगा कि उत्पाद शुल्क की राशि जिसके संबंध में इस तरह के धनवापसी का दावा किया गया है, उसके द्वारा भुगतान किया गया था और वह ऐसा शुल्क भार उसके द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं किया गया है। धारा 11-बी (2) में प्रावधान है कि, यदि यह पाया जाता है कि उत्पाद शुल्क का एक हिस्सा भुगतान वापसी योग्य है, राशि धारा 12-सी के तहत स्थापित उपभोक्ता कल्याण कोष में जमा की जाएगी। धारा 11-बी (2) में एक प्रावधान है जो बताता है कि उत्पाद शुल्क की राशि जो वापसी योग्य है, उसे निधि में जमा करने के बजाय आवेदक को भुगतान किया जा सकता है, यदि ऐसी राशि निर्माता द्वारा भुगतान किए गए

उत्पाद शुल्क से संबंधित है और उसने इस तरह के शुल्क के भार को किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं किया था। धारा 11-बी (2) के प्रावधानों का खंड (ई) भी खरीदार को धनवापसी प्राप्त करने में सक्षम बनाता है यदि उसने उत्पाद शुल्क का वहन किया है, बशर्ते कि उसने इस तरह के शुल्क के भार को किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित न किया हो। आवेदकों के एक वर्ग की तीसरी श्रेणी जिसे केंद्र द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है सरकार आधिकारिक राजपत्र में एक अधिसूचना द्वारा उत्पाद शुल्क की वापसी के लिए भी हकदार है। धारा 11-बी (2) के परंतुक के खंड (डी), (ई) और (एफ) को पढ़ने से पता चलता है कि आवेदक को की जाने वाली धनवापसी केवल तीन श्रेणियों द्वारा भुगतान किए गए उत्पाद शुल्क से संबंधित होना चाहिए। उसमें उल्लेखित व्यक्तियों अर्थात् निर्माता, खरीदार और केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित आवेदकों का एक वर्ग। खंड (ई) उस खरीदार को संदर्भित करता है जो यह निर्माता के पहले खरीदार तक ही सीमित नहीं है। उपरोक्त खंड में उल्लेखित क्रेता डाउनस्ट्रीम क्रेता भी हो सकता है। धारा के परंतुक के खंड (ई) में 'खरीदार' शब्द अधिनियम के 11-बी (2) को निर्माता से पहले खरीदार तक सीमित नहीं किया जा सकता है। यह पहचानना मुश्किल हो सकता है कि वास्तव में बोज़ किसने उठाया था, लेकिन इस तरह के सत्यापन से राजस्व को यह पता लगाने में निश्चित रूप से मदद मिलेगी कि क्या निर्माता या खरीदार जो धनवापसीके लिए आवेदन करता है, उसे अनुचित तरीके से समृद्ध किया जा रहा है। यदि शुल्क वहन करने वाले व्यक्ति/व्यक्तियों की पहचान करना संभव नहीं है, तो अतिरिक्त एकत्रित उत्पाद शुल्क की राशि निधि में रहेगी जिसका उपयोग उपभोक्ताओं के लाभ के लिए किया जाएगा जैसा कि धारा 12-डी में प्रदान किया गया है।

[अनुच्छेद 19,21] [606-एफ-एच; 607-ए-बी; 609-जी-एच; 610-ए-बी]

मफतलाल इंडस्ट्रीज लिमिटेड और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य (1997) 5 एससीसी 536: 1996 (10) तितम्बा एससीआर 585 का अनुसरण किया गया।

भारत संघ और अन्य बनाम बॉम्बे टायर इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड (1984) 1 एससीसी 467: 1984 (1) एससीआर 347; आईएफबी इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम केरल राज्य (2012) 4

एससीसी 618: 2012 (4) एससीआर 802; एडिसन एंड कंपनी लिमिटेड, मद्रास बनाम कलेक्टर ऑफ सेंट्रल एक्साइज, मद्रास (1997) 5 एससीसी 763 का उल्लेख किया गया है।

केस कानून संदर्भ

1996 (10) तितम्बा एससीआर 585	अनुसरण	अनुच्छेद 10
1984 (1) एससीआर 347	संदर्भित	अनुच्छेद 11
2012 (4) एससीआर 802	संदर्भित	अनुच्छेद 11
(1997) 5 एससीसी 763	संदर्भित	अनुच्छेद 12

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 7906/2002

आर.सी. संख्या 1/1999 में मद्रास उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 23.11.2000

से

साथ

सी. ए. संख्या 8488 /2009

सी. ए. संख्या 14689/2015

सी. ए. सं. 8382, 8383, 8384, 8385, 8386, 8388, 8390, 8391 /2016

आत्माराम एन.एस. नाडकर्णी, एएसजी, के. राधाकृष्णन, वरिष्ठ अधिवक्ता, सुश्री निशा बागची, कु. बीनू टम्टा, कु. मीनाक्षी ग्रोवर, कु. पूर्णा भंडारी, कु. सुजीया श्रीवास्तव, कु. पूजा शर्मा, जय

देहादारी, अमोघ प्रभु देसाई, साल्वाडोर एस. रेबेलो, बी. कृष्णा प्रसाद, श्रीमती अनिल कटियार, अधिवक्ता अपीलकर्ता के लिए।

एन वेंकटरमन, वरिष्ठ अधिवक्ता, एस. नंदकुमार, आर. सतीश कुमार, प्रतीक गुप्ता, पी. श्रीनिवासन, वी.एन. रघुपति, एम. पी. देवनाथ, आनंद के., हेमंत बजाज, अभिषेक आनंद, आदित्य भट्टाचार्य, सुश्री एल. चामेये, श्रीधर पोटाराजू, अर्जुन सिंह, गैचांगपौ गंगमेई, सुश्री सिन्दूरा वीएनएल, डॉ. मनीष सिंघवी, प्रसेनजीत प्रीतम, आर. गोपालकृष्णन, संदीप नारायण, अशोक बन्निदिन्नी (मैसर्स एस. नारायण एंड कंपनी के लिए), अधिवक्ता उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय एल. नागेश्वर राव, न्यायाधिपति द्वारा सुनाया गया

1. उपरोक्त अपीलें दिनांक 16.07.2008 के एक आदेश के कारण हमारे समक्ष सूचीबद्ध की गई हैं, जिसमें शामिल प्रश्नों के महत्व को देखते हुए एक बड़ी पीठ का संदर्भ दिया गया था।

2. सिविल अपील संख्या 7906/2002 आर.सी.सं. 01/1999 में मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.11.2000 से उत्पन्न हुई है। सिविल अपील संख्या 14689/2015 केंद्रीय उत्पाद शुल्क अपील संख्या 21 /2009 में दिनांक 26.11.2014 के फैसले के खिलाफ राजस्व द्वारा दायर की गई थी। विशेष अनुमति याचिका (सी) संख्या 18426 /2015, 18423 /2015, 18425/2015, 23722/2016, 12282/2016, 16142/2016, के 16141/2016 केंद्रीय उत्पाद शुल्क अपील संख्या 21 /2005, 9 /2005, 9/2004, 51/2004, 10/2005, 44/2004, 38 /2004 और 18/2005 क्रमशः में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ दायर किए गए हैं।

3. सिविल अपील संख्या 8488/2009, केंद्रीय उत्पाद शुल्क अपील संख्या 100/ 2008 में बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.08.2008 के खिलाफ दायर की गई है और विशेष अनुमति याचिका (सी) संख्या 25055/2009 द्वारा दायर की गई है राजस्थान उच्च न्यायालय,

जोधपुर के दिनांक 26.11.2008 के निर्णय के विरुद्ध भारत संघ द्वारा डी.बी. केंद्रीय उत्पाद शुल्क अपील संख्या 34/2007 में ।

4. सिविल अपील संख्या 7906/2002 को मुख्य मामले के रूप में लिया जाएगा क्योंकि एसएलपी (सी) संख्या 18426, 23722, 18425, 18423/2015 और 12282, 16141 और 16142 /2016 की और सिविल अपील संख्या 14689/2015 का निपटारा किया गया था मद्रास उच्च न्यायालय का अनुसरण करते हुए आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 7906/2002 में विवादास्पद निर्णय का अनुसरण करते हुए सिविल अपील संख्या 8488/2009 और एसएलपी संख्या 25055/2009 पर अलग से विचार किया जाएगा क्योंकि इसमें शामिल तथ्य और बिंदु थोड़े अलग हैं।

सिविल अपील संख्या 7906/2002

5. उपरोक्त अपील में प्रतिवादी काटने के औजारों का निर्माता है। प्रतिवादी-निर्धारिती ने रुपये 40,22,133/- का धनवापसी दावा दायर किया दिनांक 19.07.1988 पर और 5,44,688/-रुपये के लिए एक पूरक धनवापसी दावा दिनांक 15.06.1989 को टर्नओवर टैक्स, अधिभार, अतिरिक्त बिक्री छूट, अस्थायी बीमा, उत्पाद शुल्क छूट, अतिरिक्त छूट और टर्नओवर छूट जैसे विभिन्न करों और छूटों पर भुगतान किए गए उत्पाद शुल्क के लिए। उक्त दावे को बाद में संशोधित कर दिनांक 17.08.1988 पर रु.40,37,938/- कर दिया गया। निर्धारिती का दावा था कि उक्त राशि उत्पाद शुल्क से कटौती योग्य थी। विभाग की राय थी कि टर्नओवर छूट और अतिरिक्त छूट के लिए धनवापसी को अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए क्योंकि निर्धारिती केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 की धारा 4 के तहत मूल्य के निर्धारण के लिए थोक मूल्य से कटौती के लिए पात्र नहीं था। 23.08 .1989 को प्रतिवादी को कारण बताने के लिए एक नोटिस जारी किया गया था कि टर्नओवर छूट और अतिरिक्त छूट से जुड़े धनवापसी दावे को क्यों खारिज नहीं किया जाना चाहिए। निर्धारिती को सुनने के बाद, सहायक कलेक्टर ने दिनांक 06.12.1989 के एक आदेश द्वारा टर्नओवर छूट और अतिरिक्त छूट के संबंध में क्रमशः 26,37,462/- रुपये और 17,17,808/- रुपये के धनवापसी दावे को इस आधार

पर खारिज़ कर दिया कि छूट की मात्रा वर्ष के अंत में ही ज्ञात होती है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क अपील के कलेक्टर ने अपील दिनांक 21.02.1990 में अपने आदेश द्वारा सहायक कलेक्टर के दिनांक 06.12.1989 के उक्त आदेश को रद्द कर दिया और माना कि निर्धारिती धनवापसी का हकदार था।

6. केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 11-बी में किए गए संशोधन के अनुसार, (इसके बाद इसे "अधिनियम" के रूप में संदर्भित किया जाएगा) केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क कानून (संशोधन) अधिनियम 1991 से पहले धनवापसी के लिए दायर किया गया आवेदन होगा इसे संशोधन अधिनियम के तहत बनाया गया माना जाएगा और तदनुसार विचार किया जाएगा। उत्पाद शुल्क के सहायक कलेक्टर ने दिनांक 13.02.1992 को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया, जिसमें निर्धारिती को धनवापसीदावे के समर्थन में सबूत पेश करने का निर्देश दिया गया। उक्त नोटिस में यह उल्लेख किया गया था कि अधिनियम की धारा 12-बी के अनुसार यह दिखाने के लिए सबूत का भार निर्धारिती पर है कि शुल्क का पूरा भार खरीदारों को नहीं दिया गया है।

7. सहायक कलेक्टर ने एक मूल आदेश दिनांक 27.10.1992 को पारित किया यह मानते हुए कि निर्धारिती उसके द्वारा दावा की गई धनवापसी का हकदार है। दिनांक 20.10.1993 के अपील-आदेश द्वारा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कलेक्टर ने राजस्व द्वारा दायर अपील को खारिज़ कर दिया और सहायक कलेक्टर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क मद्रास पंचम प्रभाग, का आदेश दिनांक 27.10.1992 को बरकरार रखा। सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सोना (नियंत्रण) अपीलीय न्यायाधीकरण (सीईजीएटी), मद्रास की दक्षिण क्षेत्र पीठ ने राजस्व द्वारा दायर की गई अपील की अनुमति दी कलेक्टर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के आदेश दिनांक 20.10.1993 के विरुद्ध। न्यायाधीकरण ने माना कि निर्धारिती धनवापसी के अनुदान का हकदार होगा केवल तभी जब उसने शुल्क का भार अपने खरीददारों पर नहीं डाला हो। यह भी माना गया कि खरीदार, बदले में, धनवापसी का दावा करने का हकदार होगा, यदि उसने शुल्क का भार को किसी अन्य व्यक्ति को नहीं दिया है। न्यायाधीकरण ने आगे कहा कि जो भार धनवापसी के लिए कार्यवाही का कारण बनता है, वह फैंक्ट्री से निकाले गए

माल के संबंध में किए गए शुल्क का भुगतान है और एक बार निकासी के समय शुल्क का बोझ खरीदार को दे दिया गया है। बाद के समय में क्रेडिट नोट जारी करने से निर्धारिती किसी भी धनवापसी का दावा करने का हकदार नहीं होगा। न्यायाधीकरण ने यह भी माना कि शुल्क का बोझ आम तौर पर निर्माता और डीलर द्वारा अंतिम उपभोक्ता पर डाला जाता है।

8. निर्धारिती ने अंतिम आदेश दिनांक 07.12.1996 से उत्पन्न प्रश्नों के संदर्भ के लिए एक आवेदन दायर किया। न्यायाधीकरण ने इस मुद्दे पर भिन्न-भिन्न विचारों के अस्तित्व के तथ्य को ध्यान में रखते हुए, अपने आदेश दिनांक 28.08.1998 द्वारा निम्नलिखित प्रश्नों को उच्च न्यायालय के विचार के लिए भेजा।

"1. क्या अपने डीलरों को छूट पर शुल्क तत्व देकर आवेदक ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की उपधारा 11-बी (2) के प्रावधान 'डी' की आवश्यकताओं को पूरा किया था और इसलिए, वह क्या धनवापसीके रूप में दावा की गई राशि के भुगतान का हकदार था ?

2. क्या जब न्यायाधीकरण ने यह पाया कि आवेदक द्वारा क्रेडिट नोट जारी करके शुल्क का बोझ अपने विभिन्न डीलरों को दिया गया था, यह निष्कर्ष निकालने में सही था कि धारा 11-बी के तत्त्व संतुष्ट नहीं होते थे।"

9. मद्रास उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 23.11.2000 द्वारा निर्धारिती के पक्ष में संदर्भ का उत्तर दिया। उच्च न्यायालय ने माना कि टर्नओवर छूट की कटौती के लिए धनवापसी को इस आधार पर अस्वीकार नहीं किया जा सकता है कि यह दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं है कि उत्पाद का अंतिम उपभोक्ता कौन है और क्या अंतिम उपभोक्ता ने शुल्क का बोझ उठाया था। उच्च न्यायालय के अनुसार, अधिनियम की धारा 11-बी को अंतिम उपभोक्ता के संदर्भ में नहीं माना जा सकता है और यह दावेदार के लिए यह दिखाने के लिए पर्याप्त होगा कि उसने शुल्कका बोझ किसी अन्य व्यक्ति पर नहीं डाला है। उच्च न्यायालय ने आगे कहा कि निर्माता द्वारा किया गया धनवापसी का दावा अंतिम

उपभोक्ता की पहचान पर निर्भर नहीं है। अधिनियम की धारा 12-बी में प्रयुक्त 'खरीदार' शब्द अंतिम उपभोक्ता को संदर्भित नहीं करता है और इसका संदर्भ केवल उस व्यक्ति से है जो उस व्यक्ति से सामान खरीदता है जिसने शुल्क का भुगतान किया है यानी निर्माता। उच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि न्यायाधीकरण ने यह मानने में गलती की है कि निर्धारिती धनवापसी का हकदार नहीं है, जबकि निर्धारिती ने यह साबित कर दिया है कि शुल्क उसके खरीदारों को नहीं दिया गया था। उच्च न्यायालय के उक्त निर्णय की वैधता और मान्यता को चुनौती देते हुए, केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, मद्रास ने सिविल अपील संख्या 7906/2002 दायर की है।

10. हमने श्री आत्माराम एन.एस. नादकर्णी, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल और श्री के. राधाकृष्णन, अपीलकर्ता के वरिष्ठ अधिवक्ता और श्री एन. वेंकटरमन, प्रतिवादी के वरिष्ठ अधिवक्ता को सुना है। विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने प्रस्तुत किया कि धनवापसी के दावे पर तभी विचार किया जा सकता है जब दावेदार ने किसी अन्य व्यक्ति को शुल्कहस्तांतरित नहीं किया हो। केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क कानून (संशोधन) अधिनियम 1991 में किए गए संशोधन के उद्देश्यों और कारणों के विवरण का हवाला देते हुए, विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने प्रस्तुत किया कि अधिनियम ने लोक लेखा समिति की सिफारिशों को प्रभावी कर दिया है, जिससे धन की वापसी हो सकती है। कोई भी शुल्ककेवल उस व्यक्ति को देने का प्रस्ताव था जो अंततः ऐसे शुल्कका भार वहन करता है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि यह पता लगाने के लिए सत्यापन करना आवश्यक होगा कि वास्तव में शुल्कका बोझ कौन उठाता है। उनके अनुसार इस तरह का सत्यापन निर्माता और उसके खरीदार तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि अंतिम खरीदार यानी उपभोक्ता तक फैल जाएगा। उन्होंने कहा कि क्लीयरेंस के बाद के लेनदेन के आधार पर धनवापसी का कोई दावा नहीं किया जा सकता है। उन्होंने आगे कहा कि एक धारणा है, हालांकि इसका खंडन किया जा सकता है कि शुल्क का पूरा भार सामान के खरीदार को दे दिया गया है। विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने मफतलाल इंडस्ट्रीज

लिमिटेड और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य (1997) 5 एससीसी 536 पर अन्यायपूर्ण संवर्धन पर उनके तर्कों का समर्थन करने के लिए दृढ़ता से भरोसा किया है(1997) 5 एससीसी 536 में रिपोर्ट दी

11. निर्धारिती की ओर से उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एन वेंकटरमण ने तर्क दिया कि टर्नओवर छूट एक स्वीकार्य कटौती है, टर्नओवर छूट की योजना खरीदार को बिक्री के समय भी पता थी, छूट टर्नओवर के आधार पर दी गई थी खरीदार द्वारा की गई बिक्री और खरीदार को ज़ारी किए गए क्रेडिट नोट में छूट और शुल्क तत्व शामिल हैं। यद्यपि शुल्कके भार के पारित होने के संबंध में दलीलों और उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश से भ्रम की स्थिति है, श्री एन वेंकटरमण ने निष्पक्ष रूप से प्रस्तुत किया था कि शुल्क का भार मूल रूप से खरीदार को दिया गया था। उन्होंने प्रस्तुत किया कि टर्नओवर छूट को जैसा भारत संघ और अन्य बनाम बंबई टायर इंटरनेशनल प्रा. लिमिटेड ने (1984) 1 एससीसी 467 और (2005) 3 एससीसी 787 में रिपोर्ट किये मामले में ठहराया कि बिक्री मूल्य से कटौती करने की अनुमति दी जानी चाहिए। उनका तर्क है कि उक्त निर्णयों में यह माना गया था कि व्यापार छूट को केवल इसलिए अस्वीकार नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि वे प्रत्येक चालान के समय देय नहीं हैं या चालान मूल्य से कटौती नहीं की जाती हैं। उन्होंने आईएफवी इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम केरल राज्य (2012) 4 एससीसी 618 पर भी भरोसा जताया अपने प्रस्तुतीकरण के समर्थन में कि छूट के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए, छूट को चालान में ही दिखाने की आवश्यकता नहीं है।

12. श्री वेंकटरमन ने आगे कहा कि टर्नओवर छूट के लिए राशि की वापसी के लिए निर्धारिती की पात्रता अब संदेह में नहीं है क्योंकि इस न्यायालय ने एडिसन एंड कंपनी लिमिटेड, मद्रास बनाम सेंट्रल एक्साइज कलेक्टर, मद्रास ने (1997) 5 एससीसी 763 में रिपोर्ट किए गए अपने निर्णय दिनांक 11.03.1997 में ठहराया कि टर्नओवर छूट एक स्वीकार्य कटौती है। उन्होंने कहा कि अधिनियम की धारा 11-बी के साथ पठित धारा 4 प्रतिवादी को बिक्री के बाद दी गई टर्नओवर छूट की वापसी का दावा करने की अनुमति देती है, बशर्ते छूट की योजना पर माल हटाने से पहले सहमति हो गई हो।

निर्धारिती ने टर्नओवर छूट के लिए क्रेडिट नोट जारी करते समय टर्नओवर छूट के शुल्क घटक को वापस कर दिया है, वह दोनों तरफ से लाभान्वित नहीं होता है और इसलिए वह भुगतान किए गए अतिरिक्त शुल्क की वापसी का दावा करने का हकदार है। निर्धारिती जिस धनवापसी का हकदार है, उसके परिणामस्वरूप कोई अन्यायपूर्ण संवर्धन नहीं होगा। अधिनियम की धारा 11-बी, 12-ए और 12-बी के प्रासंगिक प्रावधानों का उल्लेख करते हुए, श्री वेंकटरमन ने प्रस्तुत किया कि उक्त प्रावधानों में उल्लेखित खरीदार निर्माता निर्धारिती से माल का खरीदार होगा। उन्होंने अपने कथन के समर्थन में धारा 11-बी (2) के प्रावधान के खंड 'ए' से 'एफ' पर जोर दिया कि धनवापसी के लिए दावा करने के पात्र एकमात्र व्यक्ति निर्माता, उसके खरीदार और व्यक्तियों का एक वर्ग होगा। जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित उपरोक्त प्रस्तुतिकरण के आधार पर, उनका कहना है कि इस बात का सत्यापन करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है कि अंतिम उपभोक्ता कौन है और क्या उसने शुल्क का बोझ वहन किया है। उनके अनुसार, यदि निर्माता स्वीकार्य कटौती के लिए धनवापसी का हकदार है, तो लाभ बरकरार नहीं रखने पर ऐसा धनवापसी उसे दिया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि मफतलाल इंडस्ट्रीज लिमिटेड और अन्य बनाम भारत संघ (सुप्रा) में इस न्यायालय का निर्णय जिस पर विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने भरोसा किया था, वास्तव में, उनके मामले का समर्थन करेगा। उन्होंने आगे कहा कि उत्पाद शुल्क की पहचान डाउनस्ट्रीम में की गई बिक्री में खो जाती है क्योंकि शुल्क कीमत का हिस्सा बन जाता है।

13. श्री वेंकटरमन, वरिष्ठ अधिवक्ता की दलीलों के जवाब में, विद्वान् अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि अंतिम खरीदार के बारे में पूछताछ करने के लिए विभाग द्वारा किया जाने वाला सत्यापन, जिसने वास्तव में शुल्क का भुगतान किया है, एक व्यर्थ अभ्यास नहीं है। उन्होंने कहा कि धनवापसी केवल उसी व्यक्ति को दिया जा सकता है जिसने शुल्क का भुगतान किया है, किसी और को नहीं। यदि अंतिम उपभोक्ता की पहचान नहीं की जा सकती है, तो राशि को फंड में रखा जाएगा और उपभोक्ताओं के लाभ के लिए उपयोग किया जाएगा।

14. हमने वकील द्वारा की गई दलीलों पर सावधानीपूर्वक विचार किया है और रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री की जांच की है। इस मामले में विचार के लिए जो प्रश्न उठते हैं, वे हैं कि क्या निर्धारिती धनवापसी का हकदार है और क्या यदि उक्त धनवापसी की अनुमति दी जाती है तो क्या अन्यायपूर्ण संवर्धन होगा। इसे सीईजीएटी, नई दिल्ली की विशेष पीठ ने कलेक्टर ऑफ सेंट्रल एक्साइज, मद्रास बनाम एडिसन एंड कंपनी लिमिटेड में अपने फैसले दिनांक 17.03.1994 द्वारा ठहराया था कि टर्नओवर छूट इस आधार पर स्वीकार्य छूट नहीं है कि छूट की मात्रा माल को हटाने से पहले ज्ञात नहीं थी। प्रतिवादी- निर्धारिती द्वारा दायर एक अपील में, इस न्यायालय ने एडिसन एंड कंपनी लिमिटेड बनाम केंद्रीय उत्पाद शुल्क, मद्रास (उपरोक्त) में अपने निर्णय दिनांक 11.03.1997 द्वारा माना कि टर्नओवर छूट एक स्वीकार्य कटौती है। इस न्यायालय ने उस सामान्य प्रथा को मंजूरी दे दी जिसके तहत छूट दी जाती है और माना गया कि छूट के बारे में डीलर को खरीदारी के समय पता चल जाता है। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने प्रस्तुत किया कि क्लियरेंस के बाद उठाए गए किसी भी क्रेडिट नोट को विभाग द्वारा धनवापसी के उद्देश्य से ध्यान में नहीं रखा जाएगा। हम उक्त दलील से सहमत नहीं हैं क्योंकि यूनियन ऑफ इंडिया बनाम बॉम्बे टायर इंटरनेशनल (सुप्रा) में इस न्यायालय द्वारा यह माना गया था कि व्यापार छूट केवल इसलिए अस्वीकृत नहीं की जाएगी क्योंकि वे प्रत्येक चालान के समय देय नहीं हैं या चालान कीमत से कटौती नहीं की गई हैं। निर्धारिती का कहना है कि डीलर को टर्नओवर छूट की जानकारी क्लियरेंस के समय भी होती है, जिसे इस न्यायालय ने भी बरकरार रखा है। उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि निर्धारिती टर्नओवर छूट के लिए उसके द्वारा जुटाए गए क्रेडिट नोट्स के आधार पर धनवापसी के लिए दावा दायर करने का हकदार है।

15. केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 के निम्नलिखित प्रावधान अन्यायपूर्ण संवर्धन के बिंदु की समीक्षा के लिए प्रासंगिक हैं: -

धारा 11 बी. शुल्क वापसी के लिए दावा. -

"(1) कोई भी व्यक्ति उत्पाद शुल्क के किसी भी धनवापसी का दावा करता है को ऐसे शुल्क की वापसी के लिए आवेदन कर सकता है [केंद्रीय उत्पाद शुल्क के सहायक आयुक्त या उप आयुक्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क] को आवेदन कर सकता है [एक वर्ष] की समाप्ति से पहले [प्रासंगिक तिथि से] [ऐसे प्रारूप और तरीके से] जो निर्धारित किया जा सकता है और आवेदन के साथ ऐसे दस्तावेज़ी या अन्य साक्ष्य (धारा 12 ए में निर्दिष्ट दस्तावेजों सहित) होंगे जो आवेदक ये स्थापित करने के लिए प्रस्तुत कर सकते हैं कि उत्पाद शुल्क की राशि जिसके संबंध में इस तरह के धनवापसीका दावा किया गया है, उससे एकत्र की गई थी, या उसके द्वारा भुगतान किया गया था और ऐसे शुल्क का भार उसके द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को नहीं दिया गया था:

बशर्ते कि जहां धनवापसी के लिए आवेदन केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क कानून (संशोधन) अधिनियम, 1991, (1991 का 40) के प्रारंभ होने से पहले किया गया हो, ऐसे आवेदन को इस उप-धारा के तहत संशोधित माना जाएगा। उक्त अधिनियम और उस पर उस अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित उपधारा (2) के प्रावधानों के अनुसार निपटा जाएगा:]

[बशर्ते कि] [एक वर्ष] की सीमा वहां लागू नहीं होगी जहां विरोध के तहत कोई शुल्क चुकाया गया हो।

(2) यदि, ऐसे किसी भी आवेदन की प्राप्ति पर, [केंद्रीय उत्पाद शुल्क के सहायक आयुक्त या केंद्रीय उत्पाद शुल्क के उप आयुक्त] संतुष्ट हैं कि आवेदक द्वारा भुगतान किए गए उत्पाद शुल्क का पूरा या कुछ हिस्सा वापसी योग्य है, तो वह तदनुसार आदेश दें और इस प्रकार निर्धारित राशि निधि में जमा की जाएगी:

बशर्ते कि इस उप-धारा के पूर्वगामी प्रावधानों के तहत [केंद्रीय उत्पाद शुल्क के सहायक आयुक्त या केंद्रीय उत्पाद शुल्क के उप आयुक्त] द्वारा निर्धारित उत्पाद शुल्क की राशि, निधि में जमा होने के बजाय, आवेदक को भुगतान की जाएगी, यदि ऐसी राशि संबंधित है-

(ए) भारत से बाहर निर्यात किए जाने वाले उत्पाद शुल्क योग्य सामानों पर या भारत से बाहर निर्यात किए जाने वाले सामानों के निर्माण में उपयोग किए जाने वाले उत्पाद शुल्क योग्य सामग्रियों पर उत्पाद शुल्क

(बी) आवेदक के [केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त] के पास रखे गए चालू खाते में शेष पड़ी अव्ययित अग्रिम जमा राशि;

(सी) इस अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों, या ज़ारी की गई किसी अधिसूचना के अनुसार इनपुट के रूप में उपयोग किए जाने वाले उत्पाद शुल्क योग्य सामानों पर भुगतान किए गए शुल्क के क्रेडिट की वापसी;

(डी) निर्माता द्वारा भुगतान किया गया उत्पाद शुल्क, यदि उसने ऐसे शुल्क की भार को किसी अन्य व्यक्ति को नहीं दिया है;

(ई) खरीदार द्वारा वहन किया गया उत्पाद शुल्क, यदि उसने ऐसे शुल्क की भार को किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं किया था;

(एफ) आवेदकों के किसी अन्य ऐसे वर्ग द्वारा वहन किया जाने वाला उत्पाद शुल्क, जिसे केंद्र सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट कर सकती है:

बशर्ते कि खंड के तहत कोई अधिसूचना न हो

(एफ) पहले प्रावधान को तब तक ज़ारी किया जाएगा जब तक कि केंद्र सरकार की राय में, संबंधित व्यक्तियों द्वारा शुल्क का भार किसी अन्य व्यक्ति को नहीं दिया गया हो।

(3) इस अधिनियम के किसी भी अन्य प्रावधान या उसके तहत बनाए गए नियमों या उस समय लागू किसी अन्य कानून के किसी भी न्यायालय के अपीलीय न्यायाधिकरण के किसी भी निर्णय, डिक्री, आदेश या निर्देश में निहित किसी भी प्रतिकूल बात के बावजूद, कोई धनवापसी नहीं उप-धारा

(2) में दिए गए प्रावधानों को छोड़कर नहीं बनाई जाएगी।

(4) उप-धारा (2) के प्रावधान के तहत प्रत्येक अधिसूचना संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी, यदि वह बैठक में है, तो अधिसूचना ज़ारी होने के बाद जितनी जल्दी हो सके, और, यदि वह बैठक में नहीं है, तो सात दिन के भीतर रखी जाएगी। इसके पुनः संयोजन के दिन, और केंद्र सरकार उस दिन से शुरू होने वाले पंद्रह दिनों की अवधि के भीतर एक प्रस्ताव द्वारा अधिसूचना के लिए संसद की मंजूरी लेगी, जिस दिन अधिसूचना लोक सभा के समक्ष रखी जाएगी और यदि संसद अधिसूचना में कोई संशोधन करता है या निर्देश देता है कि अधिसूचना प्रभावी नहीं होनी चाहिए, उसके बाद अधिसूचना केवल ऐसे ही प्रभावी होगी संशोधित रूप में प्रभावी होगी या कोई प्रभाव नहीं होगा, जैसा भी मामला हो, लेकिन उसके तहत पहले की गई किसी भी चीज़ की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना।

(5) संदेह को दूर करने के लिए, यह घोषित किया जाता है कि उप-धारा (2) के पहले प्रावधान के खंड एफ के तहत ज़ारी की गई कोई भी अधिसूचना, जिसमें उप-धारा (4) के तहत अनुमोदित या संशोधित ऐसी कोई भी अधिसूचना शामिल है, को रद्द किया जा सकता है। केंद्र सरकार द्वारा किसी भी समय आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा।]

[स्पष्टीकरण। इस धारा के प्रयोजनों के लिए, -

(ए) "धनवापासी" में भारत से बाहर निर्यात किए गए उत्पाद शुल्क योग्य सामानों पर या भारत से बाहर निर्यात किए जाने वाले सामानों के निर्माण में उपयोग किए जाने वाले उत्पाद शुल्क योग्य सामग्रियों पर उत्पाद शुल्क की छूट शामिल है;

(बी) "प्रासंगिक तिथि" का अर्थ है,

(ए) भारत से बाहर निर्यात किए गए माल के मामले में, जहां भुगतान किए गए उत्पाद शुल्क का धनवापसी स्वयं माल के संबंध में उपलब्ध है या, जैसा भी मामला हो, ऐसे माल के निर्माण में उपयोग की जाने वाली उत्पाद शुल्क योग्य सामग्री,

(i) यदि माल समुद्र या वायु मार्ग से निर्यात किया जाता है, तो वह तारीख जिस दिन जहाज या विमान जिसमें ऐसा माल लादा जाता है, भारत छोड़ता है,

या

(ii) यदि माल भूमि द्वारा निर्यात किया जाता है, तो वह तारीख जब ऐसा माल सीमा पार करता है,

या

(iii) यदि माल डाक द्वारा निर्यात किया जाता है, तो संबंधित डाकघर द्वारा भारत के बाहर किसी स्थान पर माल भेजने की तारीख;

(बी) किसी कारखाने में पुनर्निर्माण, परिष्कृत, मरम्मत, या किसी अन्य समान प्रक्रिया के अधीन लौटाए गए माल के मामले में, पूर्वोक्त उद्देश्यों के लिए कारखाने में प्रवेश की ;

(सी) उन वस्तुओं के मामले में जिनमें बेंडरोल को चिपकाया जाना होता है अगर घरेलू उपभोग के लिए हटाए गया है लेकिन भारत से बाहर निर्यात किए जाने पर इसकी आवश्यकता नहीं है, यदि भारत से बाहर निर्यात के लिए ऐसे कारखाने से निकाले जाने के बाद कारखाने में लौटाया जाता है, तो कारखाने में प्रवेश की तारीख:

(डी) ऐसे मामले में जहां एक निर्माता को अपने ऊपर लगाए गए शुल्क के लिए अपने दायित्व के पूर्ण निर्वहन के लिए आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित दर के आधार पर एक निश्चित अवधि के लिए राशि का भुगतान करने की आवश्यकता होती है। कुछ वस्तुओं का उत्पादन, यदि निर्माता द्वारा किसी अवधि के लिए ऐसी दर के आधार पर भुगतान करने के बाद लेकिन उस अवधि की समाप्ति से पहले ऐसी दर कम कर दी जाती है, तो ऐसी कटौती की तारीख;

[(ई) निर्माता के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के मामले में, ऐसे व्यक्ति द्वारा माल की खरीद की तारीख:]

(ईए) उन वस्तुओं के मामले में जिन्हें धारा 5 ए की उपधारा (2) के तहत जारी एक विशेष आदेश द्वारा शुल्क के भुगतान से छूट दी गई है, ऐसे आदेश जारी करने की तारीख;]

(ईबी) ऐसे मामले में जहां उत्पाद शुल्क का भुगतान इस अधिनियम या इसके तहत बनाए गए नियमों के तहत अनंतिम रूप से किया जाता है, अंतिम मूल्यांकन के बाद शुल्क के समायोजन की तारीख:]

(एफ) किसी अन्य मामले में, शुल्क के भुगतान की तारीख]

धारा 12 ए. माल की कीमत उस पर भुगतान किए गए शुल्क की राशि को इंगित करती है

इस अधिनियम या उस समय लागू किसी भी अन्य कानून में किसी भी बात के बावजूद, प्रत्येक व्यक्ति जो किसी भी सामान पर उत्पाद शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, माल की निकासी के समय, प्रमुखता से संकेत देगा सभी दस्तावेजों में, मूल्यांकन, बिक्री चालान से सम्बंधित और अन्य समान दस्तावेज में, ऐसे शुल्क की राशि जो उस कीमत का हिस्सा बनेगी जिस पर ऐसा सामान बेचा जाना है।

धारा 12 बी. यह मान लेना कि शुल्क का भार क्रेता को दे दिया गया है।

प्रत्येक व्यक्ति जिसने इस अधिनियम के तहत किसी भी सामान पर उत्पाद शुल्क का भुगतान किया है, जब तक कि इसके विपरीत साबित न हो उसके द्वारा, यह माना जाएगा कि उसने ऐसे माल के खरीदार को इस तरह के शुल्क की पूरी राशि हस्तांतरित कर दी है।

धारा 12 सी. उपभोक्ता कल्याण कोष.

(1) केंद्र सरकार द्वारा एक कोष स्थापित किया जाएगा, जिसे उपभोक्ता कल्याण कोष कहा जाएगा।

(2) निधि में ऐसे तरीके से जमा किया जाएगा, जो निर्धारित किया जा सकता है, -

(ए) धारा 11 बी की उपधारा (2) या धारा 11 सी की उपधारा (2) या धारा 11 डी की उपधारा (2) में निर्दिष्ट उत्पाद शुल्क की राशि;

(बी) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (52) की धारा 27 की उपधारा (2) या धारा 28 ए की उपधारा (2) या धारा 28 बी की उपधारा (2) में निर्दिष्ट सीमा शुल्क की राशि 1962 का);

(सी) फंड में जमा की गई राशि के निवेश से कोई आय और इस फंड के प्रयोजनों के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्राप्त कोई अन्य धन।

धारा 12 डी. निधि का उपयोग.

(1) फंड में जमा किए गए किसी भी पैसे का उपयोग केंद्र सरकार द्वारा उपभोक्ताओं के कल्याण के लिए ऐसे नियमों के अनुसार किया जाएगा जो सरकार इस संबंध में बना सकती है।

(2) केंद्र सरकार, यदि वह उचित समझती है, बनाए रखेगी या उस प्राधिकारी को निर्दिष्ट करेगी जो निधि के संबंध में उचित और अलग खाता और अन्य प्रासंगिक रिकॉर्ड ऐसे प्रारूप में बनाए रखेगा जो भारत के नियंत्रक और लेखा परीक्षक जनरल के परामर्श से निर्धारित किया जा सकता है।”

16. वर्तमान मामले में, निर्धारिती ने स्वीकार किया है कि शुल्क का भार मूल रूप से खरीदार को दी गई थी। यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर कोई सामग्री नहीं लाई गई है कि जिस खरीदार को शुल्क की भार निर्धारिती द्वारा हस्तांतरित किया गया था, उसने इसे किसी अन्य व्यक्ति को नहीं दिया था। अधिनियम की धारा 12-बी के तहत एक वैधानिक धारणा है कि शुल्क अंतिम उपभोक्ता को दे दिया गया है। यह तथ्यों से स्पष्ट है तत्काल मामले में, जो शुल्क मूल रूप से निर्धारिती द्वारा भुगतान किया गया था उसे आगे बढ़ा दिया गया। निर्धारिती द्वारा दावा किया गया धनवापसी उस राशि के लिए है जो पहले भुगतान किए गए और आगे बढ़ाए गए उत्पाद शुल्क का हिस्सा है। करदाता जिसने शुल्क का बोझ नहीं उठाया, हालांकि कटौती का दावा करने का हकदार है, वह धनवापसी का हकदार नहीं है क्योंकि वह अन्यायपूर्ण तरीके से समृद्ध होगा।

इस सम्बंध में मफतलाल इंडस्ट्रीज बनाम भारत संघ (सुप्रा) के प्रासंगिक अनुच्छेद को देखना उपयोगी होगा।

"108. (iii) धनवापसी का दावा, चाहे ऊपर प्रस्ताव (i) में विचारित अधिनियम के प्रावधानों के तहत किया गया हो या उपरोक्त प्रस्ताव (ii) द्वारा विचारित स्थितियों में एक मुकदमे या रिट याचिका में किया गया हो, केवल तभी सफल हो सकता है जब याचिकाकर्ता/वादी आरोप लगाता है और स्थापित करता है कि उसने शुल्कका बोझ किसी अन्य व्यक्ति/अन्य व्यक्तियों पर नहीं डाला है। उसके धनवापसी दावे को केवल तभी अनुमति दी जाएगी/डिक्री की जाएगी जब वह यह स्थापित करेगा कि उसने शुल्कका बोझ उस सीमा तक नहीं डाला है जैसा भी मामला हो, वह इस प्रकार आगे नहीं बढ़ा है। चाहे क्षतिपूर्ति के दावे को संवैधानिक अनिवार्यता के रूप में माना जाए या वैधानिक आवश्यकता के रूप में, यह न तो पूर्ण अधिकार है और न ही बिना शर्त दायित्व है, बल्कि उपरोक्त आवश्यकता के अधीन है, जैसा कि समझाया गया है निर्णय के मुख्य भाग में। जहां शुल्कका बोझ डाला गया है, दावेदार यह नहीं कह सकता कि उसे कोई वास्तविक हानि या पूर्वाग्रह हुआ है। ऐसे मामले में वास्तविक हानि या पूर्वाग्रह उस व्यक्ति द्वारा उठाया जाता है जिसने अंततः बोझ वहन किया है और केवल वही व्यक्ति वैध रूप से इसके धनवापसी का दावा कर सकता है। लेकिन जहां ऐसा व्यक्ति आगे नहीं आता है या जहां एक या दूसरे कारण से उसे राशि लौटाना संभव नहीं है, तो यह उचित और सही है कि वह राशि राज्य द्वारा, यानी लोगों द्वारा अपने पास रख ली जाए। ऐसे प्रस्ताव में कोई अनैतिकता या अनौचित्य शामिल नहीं है।

अन्यायपूर्ण संवर्धन का सिद्धांत एक न्यायसंगत और हितकारी सिद्धांत है। कोई भी व्यक्ति दोनों छोर से शुल्क वसूलने की कोशिश नहीं कर सकता। दूसरे शब्दों में, वह एक तरफ से अपने क्रेता से शुल्क नहीं ले सकता है और राज्य से भी वही शुल्क इस आधार पर नहीं ले सकता है कि यह उससे कानून के विपरीत वसूल किया गया है। न्यायालय की शक्ति का व्यक्ति को अन्यायपूर्ण ढंग से समृद्ध बनाने के लिए उपयोग नहीं किया जाता है। हालाँकि, अन्यायपूर्ण संवर्धन का सिद्धांत राज्य पर लागू

नहीं होता है। राज्य देश की जनता का प्रतिनिधित्व करता है। कोई भी लोगों के अन्यायपूर्ण तरीके से समृद्ध होने की बात नहीं कर सकता।"

17. अधिनियम की धारा 11-बी (2) में विचार किया गया है कि अधिकारियों द्वारा निर्धारित धनवापसी की राशि निधि में जमा की जाएगी। धारा 11-बी (2) का प्रावधान यह अनुमति देता है कि यदि ऐसी राशि निर्माता, खरीदार या केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित आवेदकों के किसी अन्य वर्ग से संबंधित है, तो फंड में जमा होने के बजाय आवेदक को धनवापसी का भुगतान किया जाएगा।

18. श्री वेंकटरमन ने उक्त प्रावधान की व्याख्या करते हुए कहा कि एकमात्र व्यक्ति जो धनवापसी के दावे के हकदार थे, वे निर्माता, उसके खरीदार और केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित व्यक्तियों का कोई अन्य वर्ग हैं। इस तथ्य के बारे में कोई विवाद नहीं है कि केंद्र सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 11-बी (2) के प्रावधानों के खंड (एफ) में अपेक्षित के अनुसार कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई है। उन्होंने तर्क दिया कि धनवापसी का दावा केवल निर्माता या उसके खरीदार द्वारा किया जा सकता है और अन्यायपूर्ण संवर्धन से संबंधित कोई भी पूछताछ केवल निर्माता और उसके खरीदार तक ही सीमित होनी चाहिए। अंतिम खरीदार/उपभोक्ता को अधिनियम की धारा 11-बी, 12-ए, 12-बी और 12-सी की योजना में शामिल नहीं किया जाएगा। इस दलील को उच्च न्यायालय ने विवादित फैसले में स्वीकार कर लिया। हम इस संबंध में उच्च न्यायालय के निष्कर्षों को स्वीकार नहीं करते हैं।

19. जैसा कि अधिनियम की धारा 11-बी में माना गया है, धनवापसी के दावे के लिए अनिवार्य शर्त यह है कि दावेदार को यह स्थापित करना होगा कि उत्पाद शुल्क की राशि जिसके संबंध में इस तरह के धनवापसी का दावा किया गया है, उसका भुगतान उसके द्वारा किया गया था और यह कि ऐसी ड्यूटी का भार उसके द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को नहीं सौंपा गया है। धारा 11-बी (2) में प्रावधान है कि, यदि यह पाया जाता है कि भुगतान किए गए उत्पाद शुल्क का एक हिस्सा वापसी योग्य है, तो राशि निधि में जमा की जाएगी। धारा 2 (ईई) निधि को धारा 12-सी के तहत

स्थापित उपभोक्ता कल्याण निधि के रूप में परिभाषित करती है। धारा 11-बी (2) के लिए एक प्रावधान है जो बताता है कि उत्पाद शुल्क की राशि जो वापसी योग्य है, उसे निधि में जमा करने के बजाय आवेदक को भुगतान किया जा सकता है, यदि ऐसी राशि निर्माता द्वारा भुगतान किए गए उत्पाद शुल्क से संबंधित है और उसके पास है ऐसे शुल्कका भार को किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित न किया जाए। धारा 11-बी (2) के प्रावधानों का खंड (ई) भी खरीदार को धनवापसी प्राप्त करने में सक्षम बनाता है यदि उसने उत्पाद शुल्क वहन किया हो, बशर्ते उन्होंने ऐसे शुल्क का भार किसी अन्य व्यक्ति को नहीं सौंपा। आवेदकों के एक वर्ग की एक तीसरी श्रेणी है जिसे केंद्र सरकार द्वारा आधिकारिक राजपत्र में एक अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है जो उत्पाद शुल्क की वापसी के भी हकदार हैं। धारा 11-बी (2) के परंतुक के खंड (डी), (ई) और (एफ) को पढ़ने मात्र से पता चलता है कि आवेदक को किया जाने वाला धनवापसी केवल तीन श्रेणियों द्वारा भुगतान किए गए उत्पाद शुल्क से संबंधित होना चाहिए। उसमें उल्लेखित व्यक्तियों अर्थात् निर्माता, खरीदार और केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित आवेदकों का एक वर्ग। खंड (ई) खरीदार को संदर्भित करता है जो निर्माता से पहले खरीदार तक सीमित नहीं है। उपरोक्त खंड में उल्लेखित क्रेता डाउनस्ट्रीम क्रेता भी हो सकता है। नियमों में उपभोक्ता को धनवापसी के प्रावधान की अनुपस्थिति से निपटते समय यह न्यायालय मफतलाल इंडस्ट्रीज बनाम भारत संघ (सुप्रा) में इस प्रकार ठहराया गया:-

"98. याचिकाकर्ताओं-अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील ने धारा 11-बी और इसके संबद्ध प्रावधानों पर इस आधार पर एक बड़ा हमला किया है कि उनके पीछे वास्तविक उद्देश्य निर्माताओं को धनवापसी देने से इनकार करके उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचाना नहीं था (बोझ पारित होने के आधार पर) लेकिन केवल सरकार को अवैध रूप से एकत्र किए गए करों को बनाए रखने में सक्षम बनाने के लिए। यह सुझाव दिया गया है कि उपभोक्ता कल्याण कोष का निर्माण एक मात्र दिखावा है और एक ईमानदार कृत्य नहीं है। धारा 12-डी के तहत बनाए गए नियमों को पढ़ने से, यह बताया गया है, यहां तक कि एक उपभोक्ता, जिसने वास्तव में कर का बोझ उठाया है और इस तथ्य को

स्थापित करने की स्थिति में है, अभी भी शुल्क की वापसी के लिए आवेदन करने का हकदार नहीं है क्योंकि नियम ऐसी स्थिति के लिए प्रदान नहीं करते हैं। नियम केवल उपभोक्ता कल्याण समितियों को दिए जाने वाले अनुदान पर विचार करें। अनुदान देने के मामले में भी, नियम इस प्रकार बनाए गए हैं कि किसी भी उपभोक्ता संगठन के लिए अनुदान प्राप्त करना अत्यधिक कठिन हो जाता है। अधिनियम में कोई प्रावधान नहीं है श्री नरीमन ने प्रस्तुत किया, उस व्यक्ति का पता लगाया जाना जो वास्तव में धन वापसी का हकदार है और उसे धन वापस दिलाया जाना। श्री नरीमन ने कहा, "हम एक संवेदनशील सरकार से अपेक्षा करते हैं कि वह झांसा न दे, बल्कि इसके हकदार लोगों को रकम लौटा दे।" यह एक रंगीन (आच्छादित) उपकरण है जिसे श्री सोराबजी ने "एक गंदी चाल" और 'कुत्सित चीज़' घोषित किया है। अतः आलोचना इस प्रकार चलती जिस पर श्री पारासरन का जवाब है: यह निर्माताओं / निर्धारिती के लिए हानिकारक हो जाता है उपभोक्ताओं के हितों का समर्थन करने के लिए जबकि वे अपने खर्च पर हत्या कर रहे थे। कोई भी उपभोक्ता संगठन उक्त प्रावधानों के खिलाफ कोई शिकायत व्यक्त करने के लिए आगे नहीं आया था। धारा 11-बी की उप-धारा (2) के परंतुक का खंड (ई) माल के खरीदार को, जिस पर शुल्क का बोझ डाला गया है, शुल्क की वापसी के लिए आवेदन करने का प्रावधान करता है, बशर्ते कि उसने अपनी जिम्मेदारी दूसरों पर नहीं डाली है। इसलिए, यह सुझाव देना सही नहीं है कि अधिनियम उस व्यक्ति को शुल्क की वापसी का प्रावधान नहीं करता है जिसने वास्तव में बोझ वहन किया है। अधिनियम के संबंधित प्रावधानों में कोई बुराई नहीं है। किसी अधिनियम की वैधता पर सवाल उठाने के लिए नियमों पर भरोसा नहीं किया जा सकता, जिसे अपने बल पर खड़ा होना चाहिए या उसका पालन करना चाहिए। यह मानते हुए कि नियमों में कोई दोष है, उसे हमेशा ठीक किया जा सकता है यदि अनुभव इसकी गारंटी देता है। न्यायालय भी नियमों में आवश्यक संशोधनों का संकेत दे सकता है। सरकार नियमों में उचित बदलाव करने के लिए हमेशा तैयार रहती है क्योंकि वह इस प्रक्रिया को "परीक्षण और त्रुटि" पद्धति के रूप में देखती है - श्री पारासरन कहते हैं।"

20. एक और निवेदन था जिस पर अंतिम उपभोक्ता के लिए धनवापसी के लिए आवेदन करने की सुविधा/कठिनाई के बारे में उक्त निर्णय में विचार किया गया था। उस संबंध में यह निम्नानुसार आयोजित किया गया था: -

"99 . हम श्री परासरन से सहमत हैं कि जहां तक अधिनियम के प्रावधानों का सवाल है, वे अपवाद योग्य हैं। धारा 12-सी जो उपभोक्ता कल्याण कोष बनाती है और धारा 12-डी जो नियम बनाने के तरीके को निर्दिष्ट करने का प्रावधान करती है फंड में जमा किए गए पैसे का उपयोग किया जाएगा, इसमें किसी भी आधार पर गलती नहीं की जा सकती है। अब, नियमों पर आते हुए, यह सच है कि ये नियम अपने आप में उन उपभोक्ताओं को फंड में जमा की गई किसी भी राशि की वापसी पर विचार नहीं करते हैं, जिन्होंने बोल उठाया होगा ; नियम केवल उपभोक्ताओं के कल्याण पर खर्च करने के लिए उपभोक्ता संगठनों के पक्ष में दिए जाने वाले "अनुदान" का प्रावधान करते हैं। लेकिन, शायद यही कारण है कि धारा 11 की उपधारा (2) के परंतुक का खंड (ई) 11-बी माल के क्रेता के लिए धनवापसी का आवेदन करने और प्राप्त करने का प्रावधान करता है जहां वह संतुष्ट हो सके कि शुल्क का बोझ अकेले उसने वहन किया है। ऐसा व्यक्ति अपनी खरीद के छह महीने के भीतर आवेदन कर सकता है जैसा कि धारा 11-बी से जुड़े स्पष्टीकरण बी के खंड (ई) में दिया गया है। इसलिए, यह तर्क देना सही नहीं है कि विवादित प्रावधान कानून के विपरीत एकत्र किए गए कर को वास्तव में उसके हकदार व्यक्ति को वापस करने का प्रावधान नहीं करते हैं। अपीलकर्ताओं-याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील द्वारा इस संबंध में एक व्यावहारिक कठिनाई बताई गई है: यह बताया गया है कि निर्माता ने उक्त सामान को "हटाने" या "निकासी" के स्थान पर शुल्क का भुगतान किया होगा, लेकिन बिक्री कहीं और हुई होगी; यदि क्रेता धनवापसी के लिए आवेदन करना चाहता है तो - ये प्रस्तुत किया गया है – उसे उस स्थान पर जाना होगा जहां निर्माता द्वारा शुल्क का भुगतान किया गया है और वहां आवेदन करना होगा। यह भी बताया गया है कि खरीदार पूरे भारत में फैले हो सकते हैं और उन सभी के लिए सामान "हटाने" के स्थान पर जाना और धनवापसी के लिए आवेदन करना

सुविधाजनक या व्यावहारिक नहीं है। सच है कि यह व्यावहारिक रूप से असुविधाजनक है, लेकिन यह भी याद रखना चाहिए कि ऐसे दावे केवल उच्च कीमत वाली वस्तुओं के खरीदारों द्वारा दायर किए जाएंगे जहां शुल्क घटक बड़ा है और सभी और विविध/छोटे खरीदारों द्वारा नहीं। यह व्यावहारिक असुविधा या कठिनाई, जैसा कि इसे कहा जाता है, यह मानने का आधार नहीं हो सकता है कि 1991 (संशोधन) अधिनियम द्वारा पेश किए गए प्रावधान अवैध रूप से एकत्र किए गए करों को बनाए रखने और उन्हें इस आधार पर अमान्य करने के लिए एक "उपकरण" या "चाल" हैं - यह मानते हुए कि संसद द्वारा बनाए गए कर अधिनियम के मामले में ऐसा तर्क स्वीकार्य है। (आर.के. गर्ग [(1981) 4 एससीसी 675: 1982 एससीसी (टैक्स) 30: एआईआर 1981 एससी 2138] और अनुच्छेद 87 और 88 में उद्धृत अन्य निर्णय देखें।)"

21. मफतलाल इंडस्ट्रीज (सुप्रा) में इस न्यायालय के फैसले के अनुच्छेद 98 और 99 से यह स्पष्ट है कि कोई उपभोक्ता धनवापसी के लिए आवेदन कर सकता है। हम इस न्यायालय की एक बड़ी पीठ के उक्त निष्कर्षों से बंधे हैं। अधिनियम की धारा 11-बी (2) के प्रावधान के खंड (ई) में 'खरीदार' शब्द को निर्माता से पहले खरीदार तक सीमित नहीं किया जा सकता है। एक और निवेदन जिस पर विचार किया जाना बाकी है वह यह पता लगाने के लिए सत्यापन की आवश्यकता है कि आखिरकार किसने उत्पाद शुल्क का बोझ उठाया। यह पहचानना मुश्किल हो सकता है कि वास्तव में बोझ किसने उठाया था, लेकिन इस तरह के सत्यापन से राजस्व को यह पता लगाने में निश्चित रूप से मदद मिलेगी कि क्या निर्माता या खरीदार जो धनवापसी के लिए आवेदन करता है, उसे अनुचित तरीके से समृद्ध किया जा रहा है। यदि शुल्क वहन करने वाले व्यक्ति/व्यक्तियों की पहचान करना संभव नहीं है, तो अतिरिक्त एकत्रित उत्पाद शुल्क की राशि निधि में रहेगी जिसका उपयोग उपभोक्ताओं के लाभ के लिए किया जाएगा जैसा कि धारा 12-डी में प्रदान किया गया है।

22. उच्च न्यायालय तथ्य की गलत धारणा पर भी आगे बढ़ा। उच्च न्यायालय द्वारा यह माना गया कि कोई अन्यायपूर्ण संवर्धन नहीं है क्योंकि इसका बोझ किसी पर नहीं डाला गया है। धारा 11-बी की हाईकोर्ट की व्याख्या भी सही नहीं है।

23. उपरोक्त निष्कर्षों के मद्देनजर, उच्च न्यायालय का निर्णय अलग रद्द किए जाने योग्य है। इसलिए निर्धारिती धनवापसीपाने का हकदार नहीं है इसका परिणाम अन्यायपूर्ण संवर्धन होगा। अपील स्वीकार की जाती है और उच्च न्यायालय का फैसला रद्द किया जाता है।

विशेष अनुमति याचिका (सी) संख्या 18426, 23722, 18423 और 18425/2015 व 12282, 16141 और 16142 /2016

छुट्टी दी गई।

24. विशेष अनुमति याचिका (सी) संख्या 18426, 23722, 18423 और 18425 /2018 से उत्पन्न सिविल अपीलें सेंट्रल एक्साइज, विशाखापत्तनम के आयुक्त द्वारा दायर की गई हैं, जिसमें आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की खंड पीठ के दिनांक 19.02.2014 के फैसले की वैधता को चुनौती दी गई है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क अपील संख्या 51/2004 और 10, 9 और 21/2005 में। एसएलपी (सी) संख्या 12282, 16141 और 16142/2016 से उत्पन्न सिविल अपील केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त द्वारा दायर की जाती है। 2004 की केंद्रीय उत्पाद शुल्क अपील संख्या 44 और 38/2004 और 18/2005 में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ के दिनांक 01.07.2015 के फैसले के खिलाफ विशाखापत्तनम। इन तीन अपीलों को उच्च न्यायालय ने अपने पहले निर्णय दिनांक 19.02.2014 के संदर्भ में निपटाया था।

25. करदाता यानी आंध्र प्रदेश पेपर मिल्स लिमिटेड पेपर और पेपर बोर्ड बनाती है। इसमें कोई विवाद नहीं है कि उत्पाद शुल्क का भुगतान निर्धारिती द्वारा किया जाता है और इसे उसके खरीदारों को दिया जाता है। निर्धारिती द्वारा इसके खरीदारों को दी गई व्यापार छूट की राशि की

वापसी के लिए आवेदन दायर किए गए थे। धनवापसी का दावा माल की बिक्री/हटाने के बाद निर्धारिती द्वारा उठाए गए क्रेडिट नोट्स के आधार पर होता है। क्रेडिट नोट जो निर्धारिती द्वारा उठाए गए थे व्यापार छूट की ओर थे जिसमें उत्पाद शुल्क का घटक शामिल था। करदाताओं के धनवापसी दावों को केंद्रीय उत्पाद शुल्क, राजमुंदरी खंड के सहायक आयुक्त द्वारा खारिज कर दिया गया था। आयुक्त सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क (अपील) हैदराबाद ने निर्धारिती द्वारा दायर अपील में उक्त आदेशों की पुष्टि की। सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण, दक्षिण जोनल डिवीजन, बेंगलोर ने निर्धारिती द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया।

26. निर्धारिती ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क अपील दायर करके आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। दिनांक 19.02.2014 के एक निर्णय द्वारा, आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क अपील संख्या 9, 10 और 51 /2004 और 21/2005 को अनुमति दी। मद्रास उच्च न्यायालय के निर्णय द्वारा पूरी तरह से कवर होने के कारण अपील की अनुमति दी गई थी एडिसन एंड कंपनी लिमिटेड, मद्रास बनाम कलेक्टर केंद्रीय उत्पाद शुल्क, मद्रास (1997) 5 एससीसी 763 में रिपोर्ट हुआ।

27. राजस्व ने दिनांक 19.02.2014 के उक्त निर्णय के विरुद्ध विशेष अनुमति याचिकाएँ दायर की हैं। विशेष अनुमति याचिका (सी) संख्या 12282, 16141 और 16142/2016 राजस्व द्वारा आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की खंड पीठ के दिनांक 01.07.2015 के फैसले के खिलाफ दायर की गई थी, जो उसके पहले के फैसले दिनांक 19.02.2014 का पालन करती थी। उपरोक्त सिविल अपील में शामिल मुद्दे सिविल अपील संख्या 7906 /2002 के समान हैं।

28. सिविल अपील संख्या 7906/2002 में निर्णय के संदर्भ में, राजस्व द्वारा दायर अपीलों की अनुमति है।

सिविल अपील संख्या 14689/2015

29. उपरोक्त सिविल अपील केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क आयुक्त द्वारा केंद्रीय उत्पाद शुल्क अपील संख्या 21 /2004 में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देते हुए दायर की गई है। प्रतिवादी- निर्धारिती कीटनाशक फॉर्मूलेशन का निर्माण करता है जिसका उपयोग कृषि फार्मों में कीटनाशकों के रूप में किया जाता है। कीटनाशक कारखाने के गेट पर और डिपो के माध्यम से भी बेचे जाते हैं। निर्धारिती ने कारखाने से माल हटाने के बाद स्वीकार्य छूट की वापसी के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया। करदाता द्वारा व्यापार छूट के लिए खरीदारों के पक्ष में क्रेडिट नोट जारी किए गए थे जिसमें उत्पाद शुल्क का एक घटक भी शामिल था। निर्माता द्वारा मूल रूप से उत्पाद शुल्क का भुगतान उसके खरीदारों को दिए जाने के तथ्य के संबंध में कोई विवाद नहीं है। निर्धारिती का धनवापसीदावा उपायुक्त द्वारा ऑर्डर-इन-ओरिजिनल सं. 58/2002 दिनांक 30.12.2002 द्वारा खारिज कर दिया गया था। उपरोक्त आदेश को कस्टम्स और सीमा शुल्क आयुक्त द्वारा उलट दिया गया था दिनांक 12.03.2003 के आदेश द्वारा।

30. राजस्व ने सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण, दक्षिण जोनल डिवीजन, बंगलोर के समक्ष अपील दायर की जिसे अनुमति दे दी गई। सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण, साउथ जोनल डिवीजन, बंगलोर के आदेश से व्यथित होकर निर्धारिती ने उच्च न्यायालय में अपील की। उच्च न्यायालय आंध्र प्रदेश पेपर मिल्स बनाम केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त में अपने निर्णय का पालन कर रहा है अपील स्वीकार कर ली। इस अपील का मुद्दा सिविल अपील संख्या 7906/2002 के मुद्दे के समान है। राजस्व द्वारा दायर अपील को सिविल अपील संख्या 7906/2002 के फैसले के संदर्भ में अनुमति दी गई है।

विशेष अनुमति याचिका (सी) संख्या 25055/ 2009

छुट्टी दी गई।

31. निर्धारिती मानव निर्मित फाइबर के प्रसंस्करण में लगा हुआ है। 11.06.2001 से पहले मानव निर्मित फाइबर की प्रक्रिया के निर्माण में प्रयुक्त घोषित इनपुट पर स्वीकार्य सीईएनवीएटी क्रेडिट 45 प्रतिशत था। फाइबर पर देय शुद्ध शुल्क प्रभावी शुल्क का 55 प्रतिशत था। 11.06.2001 को, सीईएनवीएटी क्रेडिट को 45 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने की अधिसूचना जारी की गई, जिसके परिणामस्वरूप देय शुद्ध शुल्क 50 प्रतिशत हो गया। निर्धारिती ने 11.06.2001 से 13.06.2001 के बीच छोटी अवधि के लिए 55 प्रतिशत पर प्रभावी शुल्क का भुगतान करना जारी रखा। उत्पाद शुल्क का प्रभावी शुल्क 16 प्रतिशत है और दिनांक 11.06.2001 की अधिसूचना से पहले व्यक्तिगत खाता बही से देय शुल्क 8.8 प्रतिशत था और 11.06.2001 के बाद देय शुल्क 8 प्रतिशत है। निर्धारिती ने रुपये की वापसी के लिए आवेदन किया। 31.07.2001 को 61,146/- अधिक भुगतान किया गया। धनवापसी के लिए उक्त आवेदन को सहायक आयुक्त, भीलवाड़ा द्वारा मूल आदेश दिनांक 12.08.2002 द्वारा इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि निर्धारिती ग्रे फैब्रिक के प्रसंस्करण में लगा हुआ एक जॉब वर्कर था और उक्त फैब्रिक को वापस कर दिया गया था कपड़े के मालिक जो बाजार में प्रसंस्कृत कपड़ा बेचते थे। यह भी माना गया कि चूंकि 8.8 प्रतिशत की दर से भुगतान किया गया शुल्क का भार कपड़े के मालिक द्वारा डेबिट नोट जारी करने से पहले अंतिम ग्राहकों/उपभोक्ताओं को दे दिया गया था चूंकि 8.8 प्रतिशत की दर से भुगतान किया गया शुल्क कपड़े के मालिक द्वारा अंतिम उपभोक्ता को दिया गया था, इसलिए प्रोसेसर धनवापसीका हकदार नहीं था।

32. निर्धारिती ने आयुक्त अपील, II सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, जयपुर को सम्पर्क कर अपील दायर की जिसे खारिज कर दिया गया आदेश दिनांक 27.02.2003 द्वारा। केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण ने अपने आदेश दिनांक 11.05.2005 द्वारा निर्धारिती द्वारा दायर अपील को इस आधार पर स्वीकार कर लिया कि शुल्क का भार निर्धारिती द्वारा ग्राहकों को नहीं दिया गया था। ग्राहकों ने 11.06.2001 को जारी अधिसूचना के बावजूद देय शुद्ध शुल्क 8 प्रतिशत के बजाय 8.8 प्रतिशत वसूलने का विरोध किया। यह विरोध बिना किसी देरी के किया गया

था, इसलिए कपड़े के मालिकों द्वारा शुल्क के भार को अपने ग्राहकों पर डालने का सवाल ही नहीं उठता।

33. केंद्रीय उत्पाद शुल्क, जयपुर के आयुक्त के माध्यम से भारत संघ द्वारा दायर केंद्रीय उत्पाद शुल्क अपील संख्या 34/2005 में, जोधपुर में राजस्थान के उच्च न्यायालय ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण के आदेश की पुष्टि की। उच्च न्यायालय के दिनांक 26.11.2008 के उक्त फैसले को चुनौती देते हुए, भारत संघ ने उपरोक्त अपील दायर की है। अधिनियम की धारा 12-बी के तहत अनुमान के संबंध में राजस्व द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष उठाए गए विवाद को उच्च न्यायालय ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि एक बार जब निर्धारिती यह दर्शाता है कि उसने अपने खरीदार को भार नहीं सौंपा है, तो बोझ राजस्व पर चला जाता है। यह दलील कि शुल्क अंतिम उपभोक्ता को दिया जा रहा है, उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार नहीं किया गया। उच्च न्यायालय ने माना कि धनवापसी का दावा तब स्वीकार किया जाना चाहिए जब निर्धारिती यह दिखाए कि उसने अतिरिक्त शुल्क के संबंध में क्रेडिट नोट जारी किया है। उच्च न्यायालय ने आगे कहा था कि अंतिम खरीदार पर उत्पाद शुल्क का बोझ डालने को अनुमानके दायरे में नहीं छोड़ा जा सकता है

34. सिविल अपील संख्या 7906/2002 में, हमने पहले ही माना है कि भुगतान किए गए अतिरिक्त शुल्क की वापसी के दावे की अनुमति केवल उस मामले में दी जा सकती है, जहां शुल्क का बोझ किसी अन्य व्यक्ति पर नहीं डाला गया है, जिसमें अंतिम भी शामिल है उपभोक्ता भी। ऑर्डर-इन-ओरिजिनल और ऑर्डर-इन-अपील में निष्कर्ष यह है कि मूल रूप से 8.8 प्रतिशत की दर से भुगतान किया गया उत्पाद शुल्क निर्धारिती-प्रोसेसर से कपड़े के मालिक और बाद में ग्राहकों को दिया गया था। इस अपील का बिंदु भी सिविल अपील संख्या 7906/2002 के समान है। राजस्व की उपरोक्त अपील स्वीकार की जाती है।

सिविल अपील संख्या 8488/2009

35. प्रतिवादी-निर्धारिती 100 प्रतिशत निर्यातोन्मुख है सूती धागा बनाने वाली इकाई (ईओयू) है। प्रतिवादी ने एक आवेदन रुपये 2,00,827/- रु की वापसी के लिए दिनांक को 14.08.2002 किया इस आधार पर कि उसने 9.20 प्रतिशत के बजाय 18.11 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त उत्पाद शुल्क का भुगतान किया था। निर्धारिती ने शुरू में शुल्क भार अपने ग्राहकों के लिए छोड़ दिया। बाद में निर्धारिती ने अतिरिक्त राशि वापस कर दी इसके खरीदारों को जिसका प्रमाण दिनांक 02.08.2002 को चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा जारी किए गए एक प्रमाण पत्र से मिलता है। धनवापसी दावे को केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोल्हापुर खण्ड के उपायुक्त ने 24.09.2002 के एक आदेश के तहत इस आधार पर खारिज कर दिया था कि निर्धारिती ने धनवापसी आवेदन दाखिल करते समय या तो क्रेडिट नोट या चार्टर्ड अकाउंटेंट का प्रमाण पत्र जमा नहीं किया था। दस्तावेजों की वास्तविकता से संतुष्ट नहीं होने पर उपायुक्त ने धनवापसी का दावा खारिज कर दिया। आयुक्त (अपील) केंद्रीय उत्पाद शुल्क, पुणे ने चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा जारी प्रमाण पत्र और दिनांक 29.07.2002 के क्रेडिट नोट्स को ध्यान में रखते हुए निर्धारिती द्वारा दायर अपील की अनुमति दी

अपीलीय प्राधिकारी ने निर्धारिती की दलीलों को स्वीकार कर लिया और माना कि प्रस्तुत दस्तावेजों की वास्तविकता पर संदेह करने का कोई कारण नहीं है। अपीलीय प्राधिकारी ने निर्धारिती की अपील की अनुमति दी और उक्त आदेश की पुष्टि केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण ने दिनांक 06.10.2005 के निर्णय और आदेश द्वारा की। केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण के उक्त आदेश की राजस्व द्वारा दायर केंद्रीय उत्पाद शुल्क अपील संख्या 100/2008 में बॉम्बे में न्यायिक उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई थी। राजस्व ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क अपील संख्या 100/2008 में उच्च न्यायालय के फैसले की वैधता को चुनौती देते हुए उपरोक्त सिविल अपील दायर की है।

36. चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा जारी किए गए प्रमाणपत्र की वास्तविकता और निर्धारिती द्वारा भुगतान किए गए अतिरिक्त शुल्क की वापसी के संबंध में निर्धारिती द्वारा उठाए गए क्रेडिट नोट्स के

बारे में तथ्यात्मक विवाद को छोड़कर, शुल्क के इस मामले में कोई विवाद नहीं है। क्रेता द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित कर दिया गया। जैसा कि यह स्पष्ट है कि निर्धारिती ने शुल्क का बोझ वहन किया है, यह नहीं कहा जा सकता है कि वह भुगतान की गई अतिरिक्त शुल्क की वापसी का हकदार नहीं है। इस मामले के तथ्य सिविल अपील क्रमांक 7906/2002 से भिन्न होने के दृष्टिगत राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है।

37. जैसा कि ऊपर कहा गया है, सिविल अपील संख्या 7906/2002 और 14689/2015 की अनुमति है। विशेष अनुमति याचिका से उत्पन्न होने वाली सिविल अपीलों (सी) संख्या 18426/2015, 18423/2015, 18425/2015, 23722/2015, 12282/2016, 16142/2016, 16141/2016 और 25055/2009 को भी सिविल अपील संख्या 7906/2002 में निर्णय के संदर्भ में अनुमति दी गई है। सिविल अपील संख्या 8488/2009 खारिज की जाती है। मूल्य के हिसाब से कोई आदेश नहीं।

अपीलें निस्तारित।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" की सहायता से अनुवादक अधिवक्ता चित्रा भदौरिया द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण- इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।